

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
अधिघोषणा

पत्रांक संख्या- १५ / डी० एल० ए० (एस०एच०-८७)सीतामढ़ी ५८/१३-२७६५/रा०,पटना, दिनांक- ०३-१२-१३

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- चैनपुर, थाना नं०-१६०, थाना-पुपरी, अंचल-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रून्नीसैदपुर से बिसवा राज्य उच्च पथ सं०-८७ के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- चैनपुर, थाना नं०-१६०, थाना-पुपरी, अंचल-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश ०.८० हेक्टेयर के बराबर होता है, सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

अर्जनाधीन खेसरा संख्या- ११३२अंश, ११३१अंश, ११३०अंश, १७८९अंश, १७८३अंश, १७८२अंश, १७६५अंश, १७५४अंश, १७५३अंश, १७५१अंश, १७५०अंश, १७४०अंश, एवं १७३१ का अंश रकबा

चौहद्दी

उत्तर- हरिहरपुर रोड,

दक्षिण- मधुवनी रोड,

पूरब- खेसरा संख्या ११३०,११३१,११३२,१७२९,१७३१,१७३६,१७३७,१७३८,१७३९,१७४०, १७५०,१७५१,१७५३,१७५४,१७५५,१७५६,१७६५,१७६९,१७८२,१७८३ एवं १८०४ का रकबा

पश्चिम- रोड

यह घोषणा अधिनियम १, १८९४ की धारा ६ के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम ११ सन् १९६१ द्वारा संशोधित हुए उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है।



बिहार राज्यपाल के आदेश से
४०
सरकार के अवर सचिव


ज्ञापक संख्या- १५ / डी० एल० ए० (एस०एच०-८७)सीतामढ़ी ५८/१३-२७६५/रा०,पटना, दिनांक- ०३-१२-१३

प्रतिलिपि- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी की अधिसूचना की दो प्रतियों सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की १० (दस) अतिरिक्त प्रतियों इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- समाहर्ता/अपर समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



०५०
२५/१३
सरकार के अवर सचिव
०२